न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 828/2022

अनवान : –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी चारणवासी त0 नोहर – वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट सपठित धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थिति :–श्री हरिसिंह **वादी**
राजपैरोकार **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक: 20/12/2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 7 के.एन.एन के खाता सं0 119/115 के मु0न0 44 की कुल 6.0720है0 में वादी जगदीश प्रसाद के नाम 5/24 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी के पिता का नाम रामप्रताप दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी के पिता का नाम रामप्रताप दर्ज है जबकि वादी के सभी दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम प्रतापसिंह दर्ज है। लेकिन संवहन से राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप दर्ज हो गया, इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। तथा वादी अपने पिता का नाम रामप्रताप की जगह प्रताप सिंह सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी जगदीश प्रसाद के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम जगदीश प्रसाद पुत्र प्रताप सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप दर्ज हो गया जिससे वादी को [illegible] परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:02:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

दस्तावेजों यथा आधार कार्ड , पहचान पत्र, राशन कार्ड, व रिपॉर्ट सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी आदि में वादी के पिता का नाम प्रताप सिंह ही दर्ज है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र प्रताप सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 7 के.एन.एन के खाता सं0 119/115 के मु0न0 44 की कुल 6.0720है0 में वादी जगदीश प्रसाद के नाम 5/24 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी के पिता का नाम रामप्रताप दर्ज है जिसमें वादी ने अपने पिता रामप्रताप के स्थान पर उनका सही नाम प्रताप सिंह दर्ज करवाने का निवेदन किया है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम प्रताप सिंह दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मलवानी रिपॉर्ट के अनुसार वादी के पिता का नाम प्रताप सिंह सही होना अंकित है। इस प्रकार वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 के.एन.एन के खाता सं0 119/115 के मु0न0 44 की कुल 6.0720है0 में वादी जगदीश प्रसाद के नाम 5/24 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी के पिता का नाम रामप्रताप दर्ज है में जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र प्रताप सिंह किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप के नाम से हो तो उसके लिए वादी का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप ही लागू होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:02:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 828 / 2022

अनवान : —

1. जगदीश प्रसाद पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी चारणवासी त0 नोहर — वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर। — प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हरिसिंह सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डीक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 के.एन.एन के खाता सं0 119 / 115 के मु0न0 44 की कुल 6.0720है0 में वादी जगदीश प्रसाद के नाम 5 / 24 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी के पिता का नाम रामप्रताप दर्ज है में जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र प्रताप सिंह किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप के नाम से हो तो उसके लिए वादी का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप ही लागू होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:02:52 IST
Reason: SelfAttested